प्रार्थना पत्र/RCMS-2019/00016 31/7/19

# फर्द अहकाम

(नियम 133)

## अज अदालत जिला कलक्टर, डूंगरपुर (राजस्थान)

प्रकरण संख्या :– 04/2019 दायर दिनांकः–01.07.2019

बनाम

श्री देवीलाल पिता रावण पाटीदार
निवासी गामडा बामणिया
तहसील सागवाडा
जिला डूंगरपुर (राज0)

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार
सागवाडा व जिला डूंगरपुर

..................अपीलार्थी ............विपक्षी

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| 10.07.2019 | यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी की ओर से मूल अपील के साथ इस आशय का प्रस्तुत किया है कि तहसीलदार सागवाडा के प्रकरण संख्या 679/2018 निर्णय दिनांक 26.12.2018 द्वारा ग्राम गामड़ा बामणिया की आ.नं. 2797 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा बिलानाम रास्ते की भूमि में से 1 बिस्वा भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से बेदखल करने व लगान रूपया 0.05 का पच्चास गुना पेनाल्टी रूपया 3.00 प्रार्थी से वसूल करने तथा सार्वजनिक रास्ते के उपयोग की भूमि होने के कारण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के नियम–3 के तहत तीन माह का सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। प्रार्थी उक्त निर्णय से असंतुष्ट होकर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रार्थना–पत्र मूल अपील के निर्णय तक का पेश किया हैं।<br>प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस समायत की गई। वकील प्रार्थी ने बहस में तथ्य प्रकट किये है कि ग्राम गामड़ा बामणिया की आ.नं. 2797 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा किस्म रास्ते की भूमि पर जो पुराना पत्थरों का परकोटा था उसे ढ़हा दिया हैं तथा वर्तमान में विवेचित रास्ता आवागमन हेतु उपलब्ध है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि उक्त अतिक्रमित भूमि के पास स्थित हैं जिसका ख.नं. 2789 हैं। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया है कि पुराना बना परकोटा उनके द्वारा हटा दिया है तथापि इस आशय का अन्डरटेकिंग प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की भूमि तथा रास्ते की भूमि की नपती कराये जाने पर यदि रास्ते की भूमि पर उनका अतिक्रमण पाया जावें तो उसे हटवा देगा। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने तहसीलदार सागवाडा द्वारा |

10/7/19

Scanned by CamScanner

तीन माह के सिविल कारावास के आदेश दिनांक 26.12.2018 को स्थगित करने का अनुरोध किया हैं।

अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अन्डरटेकिंग के आधार पर तहसीलदार सागवाडा के प्रकरण संख्या 679/2018 निर्णय दिनांक 26.12.2018 को आगामी पेशी दिनांक 31.07.2019 तक तीन माह के सिविल कारावास की पालना स्थगित रखने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सागवाडा को निर्देशित किया जावे कि उक्त विवेचित आराजी नं. 2797 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा बिलानाम रास्ते की राजस्व रेकार्ड एवं विवादित निर्माण के संदर्भ में कानूनगों एवं पटवारी का दल गठित कर, मौके पर जांच कर अपीलार्थी को अवगत करावें एवं वस्तुस्थिति की रिपोर्ट राजस्व रेकार्ड, पर्चा मौका, नक्शा ट्रेस के साथ आगामी पेशी से पूर्व पेश करें। आदेशानुसार तहसीलदार सागवाडा को पालना हेतु लिखा जावें तथा प्रति थानाधिकारी सागवाडा को भी भिजवाई जावें। अधिनस्थ अदालत की तलब की जाकर पत्रावली वास्ते जवाब विपक्षी के दिनांक 31.07.2019 को पेश हो।

[signature] /7/19

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

31-07-19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पेरोकार सरकार हाजिर। प्रार्थना-पत्र को सम्बन्धित मूल अपील में निर्णय हो जाने के उपरान्त इस प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है। अतः पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

[signature] 31/7/19

जिला कलक्टर
डूंगरपुर

Scanned by CamScanner